राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–1135/2023)

जगदीश चन्द मईडा **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.07.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– **अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिवपुरी ब्लॉक धरियाबाद जिला प्रतापगढ में कार्यरत है। अपीलार्थी का इस पद पर स्थानांतरण दिनांक 09.06.2017 को हुआ था। जब से अपीलार्थी इसी पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने अपने स्थानंतरण के लिए एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिया था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया।
2. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया जाना बताया है। अपीलार्थी के अभ्यावेदन (अनुलग्नक–1) से प्रकट होता है कि अभ्योवदन की तारीख पर over writing है। इसके अलावा अभ्यावेदन के साथ जो डाक की रसीद प्रस्तुत की गई है, उसमें भेजे जाने वाले का नाम सुधीर गुप्ता अंकित किया गया है, जबकि अभ्यावेदन (अनुलग्नक–1) में प्रार्थी जगदीश चन्द मईडा है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वास्तव में अभ्यावेदन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है या नहीं। इस अधिकरण के समक्ष अपील उस स्थिति में प्रस्तुत की जा सकती है, जब किसी अधिकारी या ऑथोरिटी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी के संबंध में कोई आदेश जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है।
3. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी इस अधिकरण के समक्ष सर्वप्रथम यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि उसने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है एवं दूसरा अपीलार्थी के संबंध में कोई आदेश प्रत्यर्थी विभाग ने पारित नहीं किया है ।
4. ऐसे में इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)